प्रेस विज्ञप्ति
18/05/2024

प्रवर्तन निदेशालय)ईडी(, लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने **शाइन सिटी धोखाधड़ी** के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिनांक 23.01.2024 को माननीय विशेष न्यायालय)पीएमएलए(, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष अभियोजन शिकायत)पीसी(दायर की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.05.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है।

ईडी ने रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की जिसमें उन्होंने निवेश के नाम पर जनता से भारी मात्रा में धन)लगभग 800-1000 करोड़ रुपये(एकत्र किया था और इस तरह के निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया था। हालांकि, निवेशकों को ऐसा कोई रिटर्न नहीं दिया गया और आरोपियों ने धोखाधड़ी करके उन्हें ठगा।

ईडी की जांच से पता चला कि कई एजेंट थे जो निवेशकों को लुभाने के लिए शाइन सिटी के लिए काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, जिससे रशीद नसीम और शाइन सिटी को अपराध की आय अर्जित करने में मदद मिली। ईडी की जांच से यह भी पता चला कि अपराध की आय कई अन्य कंपनियों और व्यक्तियों को अंतरित की गई थी।

ईडी ने दिनांक 24.11.2023 को लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली थी। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई डिजिटल डिवाइस बरामद कर जब्त किए गए जिनमें धन-शोधन के कृत्य में कुछ व्यक्तियों की निरंतर संलिप्तता के बारे में अपराध संकेती दस्तावेज शामिल थे।

तलाशी कार्रवाई के बाद ईडी ने चार आरोपियों श्रीमती शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद और उधव सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हिरासत में की गई पूछताछ में धन-शोधन के अपराध में उनकी संलिप्तता का पता चला। जांच के निष्कर्षों के आधार पर, उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई। ईडी की अब तक की जांच के परिणाम-स्वरूप 128 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

आगे की जांच जारी है।